(1)

⑧ R.M.M. Law College - Saharsa

Manvendra Mandal part time lecturer	Contract-I general theory of contract and Specific Relief Act	Date 08-05-2020

संविदा के आवश्यक तत्व :-
Essetial element of Contract

मान्य संविदा के सृजन के लिए दो आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। (i) करार (Agreement) (ii) आभार (obligation) या जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो।

1. करार (Agreement)-

संविदा अधिनियम की धारा 2(e) Agreement को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार "प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञाओं का वर्ग (समूह) जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार कहलाता है।" ("Promise or set of promises forming the consideratio with each other is an agreement") यहाँ प्रतिज्ञा का आशय स्वीकृत प्रस्थापना से है। (प्रतिज्ञा = प्रस्थापना + स्वीकृति) proposal accept किये जाने के बाद प्रतिज्ञा का रूप धारण कर लेती है। proposal का आशय - "जब एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को, किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा इस हेतु संज्ञात करता है कि वह दूसरा व्यक्ति, उस कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा इस हेतु संज्ञात करता है कि वह दूसरा व्यक्ति, उस कार्य को करने या न करने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान कर दे, तो कहा जायेगा कि पहले व्यक्ति ने offer (प्रस्थापना) की है तथा दूसरे व्यक्ति ने सहमति द्वारा offer की स्वीकृति दी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Agreement की उत्पत्ति legal offer and legal acceptance (विधिक प्रतिग्रहण) से होता है।

Agreement किसी संविदा का प्रथम चरण है। प्रत्येक संविदा में करार अन्तर्निहित होता है, लेकिन प्रत्येक करार संविदा नहीं होता।

करार के लिए दो बातें आवश्यक हैं- वचन एवं प्रतिफल। जैसा कि ऊपर वर्णित है कि वचन, प्रस्ताव और स्वीकृति से मिल कर बनता है। अतः प्रस्थापना, प्रतिग्रहण और प्रतिफल मिलकर करार का गठन करते हैं। करार के संदर्भ में विधिवेत्ता सैमिनी का कथन उल्लेखनीय है, इनके अनुसार- "दो या अधिक व्यक्तियों की, अपनी विधिक सम्बन्धों को प्रभावी करने के समान आशय की अभिव्यक्ति ही करार है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि "करार" शब्द संविदा की अपेक्षा अधिक व्यापक है। प्रत्येक संविदा में करार समाहित होता है, परन्तु आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक करार संविदा हो। केवल विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही संविदा है। (All contracts are agreement, but all agreements are not contract. only those agreements are contract which can be enforced by law) विधिक दृष्टि से केवल वे ही करार महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पक्षकारों के बीच विधिक दायित्वों अथवा सम्बन्धों का उद्भव होता हो। प्रतिफल रहित करार शून्य होता है।

(ii) विधि द्वारा परिवर्तनीय (Enforceable by law)

इसके लिए संविदा अधिनियम की धारा 10 में उल्लिखित शर्तें अपेक्षित हैं- धारा 10 - "सभी करार यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य से किये जाते हैं और जो एतद्द्वारा अभिव्यक्त रूपेण शून्य घोषित नहीं किये गये हैं, संविदा हैं। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार की शर्तें निम्न हैं-

(i) करार दो पक्षकारों के बीच होना चाहिए (ii) वह वयस्क एवं स्वस्थचित्त होना चाहिए (धारा-11, 12) (iii) पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए (धारा-13-20) (iv) करार किसी विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया हो (धारा-23) (v) करार अभिव्यक्तरूपेण शून्य घोषित नहीं किया गया हो (vi) करार लिखित व पंजीकृत तथा साक्षियों की उपस्थिति में होना चाहिए। पुनीतवेरीवाला बनाम शुभा संयाल के वाद में न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि "भविष्य में करार करना" संविदा का निर्माण नहीं करता और इसे परिवर्तित नहीं कराया जा सकता।

Scanned with CamScanner